राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1818/2024

केशर दैयां **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर (राज.)।
3. जिला कलेक्टर, भू–अभिलेख, जिला जयपुर ग्रामीण।
4. उपखंड अधिकारी, रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ग्रामीण।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.05.2024
आदेश की दिनांक : 21.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर तहसील कार्यालय रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण भू–अभिलेख निरीक्षक, जिला कोटपूतली बहरोड से भू–अभिलेख निरीक्षक, सेवापुरा तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ग्रामीण किया गया है और उक्त आदेश राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा जारी किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी को सेवापुरा, तहसील रामपुरा डाबडी के लिये आदेश दिनांक 23.02.2024 के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया और तत्पश्चात् जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा जारी आदेश

दिनांक 14.03.2024 के द्वारा आदेश प्रतीक्षाधीन दर्शाते हुए तहसील रामपुरा डाबडी कार्यग्रहण किये जाने हेतु आदेश दिया गया और कार्यालय उपखंड अधिकारी रामपुरा डाबडी द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को ऑफिस कानूनगो रामपुरा डाबडी पदस्थापित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने ऑफिस कानूनगो रामपुरा डाबडी में कार्यग्रहण किया। उनका कथन है कि कार्यालय राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा जारी आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थी को सेवापुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर ग्रामीण स्थानांतरित किया गया था। लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 3 एवं 4 ने अपीलार्थी को सेवापुरा तहसील रामपुरा डाबडी कार्यग्रहण नहीं करवाया और आदेश प्रतीक्षाधीन दर्शाते हुये उसे तहसील रामपुरा डाबडी स्थानान्तरित करते हुये ऑफिस कानूनगो रामपुरा डाबडी में कार्यग्रहण करवाया जो राजस्व मंडल द्वारा जारी किया गया आदेशों की अवहेलना है और इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 3 एवं 4 द्वारा जारी आदेश मनमाना, अनुचित व विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2024 एवं 15.03.2024 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.02.2024 की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक, सेवापुरा तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ग्रामीण के पद पर कार्यग्रहण करवाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर कार्यरत है और कार्यालय राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को भू–अभिलेख निरीक्षक, जिला कोटपूतली बहरोड से भू–अभिलेख निरीक्षक, सेवापुरा तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ग्रामीण स्थानान्तरित किया गया। परंतु प्रत्यर्थी संख्या 3 जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.03.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आदेश प्रतीक्षाधीन भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट, जयपुर दर्शाते हुये तहसील रामपुरा डाबडी स्थानान्तरित किया गया है और प्रत्यर्थी संख्या 4

कार्यालय उपखंड अधिकारी रामपुरा डाबडी द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेश प्रतीक्षाधीन तहसील कार्यालय रामपुरा डाबडी दर्शाते हुये ऑफिस कानूनगो रामपुरा डाबडी पदस्थापित किया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 एवं 4 कार्यालय जिला कलेक्टर, जयपुर एवं कार्यालय उपखंड अधिकारी, रामपुरा डाबडी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 कार्यालय राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा जारी आदेश की पूर्णतया पालना नहीं करवाई गई और मनमाने रूप से अपीलार्थी को पदस्थापित किया गया, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 3 एवं 4 कार्यालय जिला कलेक्टर, जयपुर एवं कार्यालय उपखंड अधिकारी, रामपुरा डाबडी को हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.02.2024 की क्रियान्विति को ध्यान में रखते हुये पालना कराना सुनिश्चित करें।

अतः अपील उक्त निर्देशों के साथ ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य